वेबसाइट शाखा

# झारखण्ड विधान सभा

## अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान–सभा
त्रयोदश – सत्र
वर्ग–01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 05 फाल्गुन, 1935 (श0) / 24 फरवरी, 2014 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश पत्र पर अंकित रहेंगे :–

| क्रमांक | विभागों को भेजी गई सं0स0 | सदस्यों का नाम | संक्षिप्त विषय | संबंधित विभाग | विभागों को भेजी गई तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02. | 03 | 04. | 05. | 06. |
| 72. | अ0सू0– 12 | श्री संजय कु0 सिंह यादव | अग्नि शमन सेवा की स्थापना। | गृह विभाग | 17.02.2014 |
| 73. | अ0सू0– 02 | श्री कमल किशोर भगत | नियुक्ति हेतु सेवा शर्त्त नियमावली बनाना। | कार्मिक प्र0 सु0एवं रा0भाषा | 14.02.2014 |
| 74 | अ0सू0–13 | श्री माधवलाल सिंह | पदाधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई। | कार्मिक | 17.02.2014 |
| 75 | अ0सू0–05 | श्री विनोद कुमार सिंह | हत्यारों की गिरफ्तारी | गृह | 16.02.2014 |
| 76 | अ0सू0–16 | श्री जर्नादन पासवान | नौकरी एवं मुआवजा देना। | गृह | 18.02.2014 |
| 77 | अ0सू0–07 | श्री विनोद कुमार सिंह | उपयोगिता प्रमाण–पत्र जमा नहीं करने वाले संस्थाओं पर कार्रवाई। | वित्त | 16.02.2014 |
| 78. | अ0सू0–14 | श्री बन्धु तिर्की | गोप अहिर एवं यादव को पिछडा वर्ग की (अनुसूची–1) में शामिल करना। | कार्मिक | 18.02.2014 |
| 79. | अ0सू0–19 | श्री प्रदीप यादव | दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई। | गृह | 19.02.2014 |
| 80. | अ0सू0–04 | श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टान | थाना का निर्माण । | गृह | 14.02.2014 |
| 81. | अ0सू0–11 | श्री सौरभ नारायण सिंह | अनुभव एवं उम्रसीमा खत्म करना। | गृह | 17.02.2014 |
| 82. | अ0सू0–15 | श्री बन्धु तिर्की | प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति देना। | कार्मिक | 18.02.2014 |

कृ0पृ0उ0–

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83. | अ0सू0–09 | श्री बन्ना गुप्ता | दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करना। | गृह | 17.02.2014 |
| 84. | अ0सू0–03 | श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टान | पर्यटन स्थल घोषित करना। | पर्यटन | 14.02.2014 |
| 85. | अ0सू0–08 | श्री बन्ना गुप्ता | मानव तस्करी को रोकना। | गृह | 17.02.2014 |
| 86. | अ0सू0–01 | श्री चन्द्रिका महथा | मोर्डनाइज थाना बनाना। | गृह | 14.02.2014 |
| 87. | अ0सू0–06 | श्री चन्द्रिका महथा | राशि बढ़ाना | वित्त | 16.02.2014 |
| 88. | अ0सू0–18 | श्री प्रदीप यादव | दोषी पदाधिकारीयों के विरूद्ध कार्रवाई। | पर्यटन | 19.02.2014 |
| 89. | अ0सू0–10 | श्री अमित कु0 यादव | थाना भवन का निर्माण | गृह | 17.02.2014 |
| 90. | अ0सू0–20 | श्री गोपाल कृष्ण पातर | अग्निशमन केन्द्र की स्थापना | गृह | 19.02.2014 |

सुशील कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, रांची।

रॉची,
दिनांक-- 24 फरवरी,2014 ई0।

ज्ञापांक–झा0वि0स0(प्रश्न)–03/07........750......../वि0स0, रांची, दिनांक– 22/2/2014

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के मा0 सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 नेता प्रतिपक्ष/अन्य मा0 मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव /लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

छोटेलाल 22/2/14
(छोटेलाल टुडू)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, रांची।

ज्ञापांक-- झा0वि0स0(प्रश्न)–03/07........750......../वि0स0, रांची, दिनांक– 22/2/2014

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं संयुक्त सचिव (प्रश्न) के उप सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

छोटेलाल 22/2/14
अवर सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, रांची।

22/02/14

निरंजन

(72)

श्री संजय कुमार सिंह यादव, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.02.2014 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–12 का उत्तर प्रतिवेदन :–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमण्डल मुख्यालय में अग्निशाम सेवा (फायर ब्रिगेड स्टेशन) की स्थापना नही की गई है ; | स्वीकारात्मक है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि वर्णित हुसैनाबाद अनुमंडल से जिला मुख्यालय की दूरी 80 कि०मी० है, फलतः आग लग जाने पर अग्निशाम सेवा हुसैनाबाद पहुँचने में काफी समय लग जाता है ; | स्वीकारात्मक है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल मुख्यालय में अग्निशाम सेवा (फायर बिग्रेड स्टेशन) की स्वीकृति प्रदान करते हुए स्थापना करने का विचार रखती है, हँ तो कब तक नही तो क्यों ? | सरकार द्वारा हुसैनाबाद अनुमण्डल मुख्यालय में अग्निशाम सेवा (फायर ब्रिगेड स्टेशन) खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। भूमि अधिग्रहण हेतु आवश्यक आवंटन भी उपलब्ध कराया जा चुका है। साथ ही उपकरणों की खरीद एवं कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया भी जारी है। तदनुसार भूमि अधिग्रहण, अग्निशामालय–सह–आवासीय भवनों के निर्माण एवं कर्मियों की बहाली होने के पश्चात् ही स्थायी रूप से हुसैनाबाद में अग्निशामालय स्थापित किया जा सकेगा। |

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–5 / विधा०–04 / 05 / 2014...1091.../ राँची, दिनांक–23/02/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.2.14
सरकार के उप सचिव।

73

## माननीय स०वि०स० श्री कमल किशोर भगत द्वारा दिनांक 24.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–02 का उत्तर।

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है राज्य गठन के 13 साल बाद भी सरकार नियुक्ति एवं सेवा शर्त्तें नियमावली नहीं बना सकी है, जिससे हजारों बेरोजगारों का भविष्य अंधकारमय हो गया है; | अस्वीकारात्मक है।<br>राज्य सरकार के अधीन बहुत सी सेवा/संवर्ग की नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली गठित की जा चुकी है। शेष नियमावलियों के गठन की कार्रवाई की जा रही है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली नहीं बनने से बेरोजगार छात्र–छात्राओं का उम्र सीमा अधिक हो गया है; | अस्वीकारात्मक है। |
| 3. | क्या यह बात भी सही है कि मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार ने नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली का गठन शीघ्र करने हेतु विभिन्न विभागों के सचिवों को पत्र लिखा है; | स्वीकारात्मक है। |
| 4. | यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बेरोजगारों को अधिकतम उम्र सीमा में छुट देकर राज्यहित में नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली बनाने का विचार रखती है हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ? | उम्र सीमा में छूट दिये जाने के संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। |

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–9/2014 का०–1698/राँची, दिनांक–21/2/2014

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–183, दिनांक 14.02.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/14.

(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

74

**श्री माधव लाल सिंह, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 24.02.2014 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0 सू0–13 का उत्तर।**

| | |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वर्ष –2012 की परीक्षा का परिणाम 2013 में प्रकाशित हुआ : | प्रश्न अस्पष्ट हैं, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। |
| 2. क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित परीक्षा में कम अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के शेखर राम को 599, अनुसूचित जनजाति के ज्ञानमनि एक्का को 573, पिछड़ा वर्ग के आविद शम्स को 595, अति पिछड़ा वर्ग के मनोज कुमार को 609 एवं सामान्य वर्ग के सुनील कुमार सिंह को 617 अंक प्राप्त होने पर नौकरी दी गई, जबकि वर्णित लोगों से अधिक अंक पाने वाले अनुसूचित जाति के लालचन्द रजक को 685, विकास कपरदार को 673, चन्दन को 668, अनुसूचित जनजाति के मनोहर करमाली को 675, पिछड़ा वर्ग के शिशिर कुमार महतो को 722, अति पिछड़ा वर्ग के हुलास महतो को 724 तथा सामान्य वर्ग के राजीव रंजन को 715 अंक प्राप्त करने पर भी नौकरी नहीं दी गई : | प्रश्न अस्पष्ट है। परीक्षा का नाम तथा परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक का विवरण नहीं दिया गया है। |
| 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित मामलें की जाँच कराकर अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नौकरी देने, कम अंक प्राप्त करने वाले को हटाने तथा ऐसे गलत करने वाले पदाधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ? | उपर्युक्त के आलोक में उत्तर अस्वीकारात्मक है। |

**झारखण्ड सरकार,**

**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

ज्ञापांक 11/लो0 से0 आ0 (वि0 स0)–01–08/2014 का0 168 /राँची, दिनांक 20/2/14

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 351 दिनांक 17.02.2014 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20-2-14

सरकार के संयुक्त सचिव।

75

श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.02.2014 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
| --- | --- | --- |
| 1 | क्या यह बात सही है कि गत 31 जनवरी, 2013 को गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखण्ड के टांटो में 13 वर्षीय छात्र विकास की हत्या कर दी गयी ; | उत्तर स्वीकारात्मक है। यह सही है कि 31 जनवरी, 2013 को गिरिडीह जिला के बिरनी थाना अंतर्गत ग्राम–टाटो के विकास कुमार नामक छात्र (उम्र करीब 12 वर्ष) की हत्या कर दी गयी है, जिसके संबंध में बिरनी थाना कांड सं०–13/13, दिनांक–31.01.2013, धारा–302/201/34 भा०द०वि० वादी विष्णुदेव प्रसाद वर्मा, पे०–श्री बढ़न महतो, ग्राम–टाटो, थाना–बिरनी, गिरिडीह के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर दर्ज किया गया है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि आज एक वर्ष बाद भी पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार नही कर पायी है ; | उत्तर स्वीकारात्मक है। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के क्रम में प्राथमिकी अभियुक्त दीपक प्रसाद वर्मा पिता–शिवलाल महतो, सा० चरगो, थाना बिरनी, जिला–गिरिडीह धारा–302/201/ 120/(बी०) भा०द०वि० के अंतर्गत चिन्हित कर लिया गया है। अभियुक्त अभी भी फरार है। कुर्की–जप्ती की कार्रवाई की गयी है। गिरफ्तारी के बाद अन्य अभियुक्तों का उद्भेदन होने की संभावना है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार हत्यारों को कब तक गिरफ्तार करेगी ? | गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। |

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–8/वि०स० (04)–03/2014 1087/ राँची, दिनांक–23/02/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.2.14

सरकार के उप सचिव।

(76)

श्री जनार्दन पासवान, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.02.2014 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–16 का उत्तर प्रतिवेदन :–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत कांड सं०–213/13 चतरा थाना उपेश कुमार, पिता–उमाशंकर यादव, लाईन मोहल्ला, चतरा की हत्या उग्रवादी संगठन द्वारा की गयी थी ; | अस्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि मृतक उपेश के आश्रित को आज तक न तो सरकारी नौकरी और न ही मुआवजे की राशि प्रादन की गयी है ; | संकल्प सं०–423, दिनांक–16.02.2006 एवं 2279, दिनांक–07.05.2003 के आलोक में उग्रवादी संगठन द्वारा हत्या नही किये जाने के फलस्वरूप सरकारी नौकरी/ मुआवजा अनुमान्य नही है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मृतक उपेश के आश्रित को सरकारी नौकरी एवं मुआवजे की राशि प्रदन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ? | यथोक्त। |

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–18/वि०स० (02)–02/2014–1772/ राँची, दिनांक–23/02/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.2
सरकार के उप सचिव।

(77)

**श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.02.2014 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं०-07 का उत्तर प्रतिवेदन :-**

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि वित्त नियमावली के नियम-342 के अनुसार उस वर्ष के दौरान विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सहायता अनुदान दिये गये है, तो अनुदान ग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर जाँचोपरान्त स्वीकृति की तिथि के 12 माह के अंदर महालेखाकार को अग्रसारित कर देने का प्रावधान है ।</td><td>स्वीकरात्मक है ।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि राज्य में 2007-08 से 2010-11 तक में वितरित अनुदान में 5232 अनुदानों की 6836.04 करोड़ रू० की अब तक कोई उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा नहीं है ।</td><td>वस्तुस्थिति यह है कि विभाग के सतत प्रयास एवं समीक्षा के फलस्वरूप स्थिति में काफी सुधार हुआ है ।पूर्व की स्थिति में काफी सुधार लगातार हो रहा है ।<br>विभागीय पत्रांक-263 दिनांक-27.01.2014, 271 दिनांक-27.01.2014 एवं 272 दिनांक-27.01.2014 के द्वारा वर्ष 2011-12 तक का 100 %, लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार को उपलब्ध कराने एवं इसकी प्रति वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश सभी सम्बन्धित विभागों को दिया गया है ।<br>उक्त निदेश के उपरान्त स्थिति में अपेक्षित सुधार हुआ है ।दिनांक 19-02-14 को महालेखाकार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार स्थिति निम्न प्रकार है ।
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र</th><th>लम्बित राशि (करोड़ में)</th></tr>
<tr><td>07-08</td><td>342</td><td>132</td></tr>
<tr><td>08-09</td><td>556</td><td>417</td></tr>
<tr><td>09-10</td><td>904</td><td>547</td></tr>
<tr><td>10-11</td><td>935</td><td>720</td></tr>
<tr><td></td><td>2737</td><td>1816</td></tr>
</table>
उक्त से स्पष्ट है कि लगभग 75% उपयोगिता प्रमाण-पत्र का समायोजन हो चुका है ।</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| 3. | यदि उपरोक्त तथ्य सत्य है, तो अनुदान की राशि प्राप्त कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा नहीं करनेवाले संस्थाओं पर सरकार कार्रवाई करने की विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ? | कंडिका-2 में वर्णित वित्त विभागीय पत्रों द्वारा महालेखाकार से अनुरोध किया गया है कि जबतक 100% उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार को उपलब्ध नहीं हो जाते तबतक वर्ष 2013-14 के लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत नहीं किये जाय ।<br>कतिपय विभागों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अधिक संख्या में लंबित रहने के कारण विभागीय पत्रांक-620, 621, 622 एवं 623 दिनांक-20.02.14 से पुनः अनुरोध किया गया है । ज्यादा राशि का लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्र क्रमशः पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 विभाग, नगर विकास विभाग, कल्याण विभाग एवं सहकारिता विभाग में है । कुल लम्बित का लगभग 80% इन चार विभागों के स्तर पर लम्बित है । |

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

ज्ञाप सं0-10/वि0स0(4)-04/2014 35 वि0 राँची दिनांक- 23-02-2014

प्रतिलिपिः- उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं0-328 वि0स0, दिनांक-16.2.2014 के आलोक में उत्तर सामग्री 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23.02.14

(अविनाश कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव ।

1 (78)

श्री बन्धु तिर्की, माननीय स0वि0स0 द्वारा चलते विधानसभा सत्र में दिनांक– 24.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–14 का उत्तर प्रतिवेदन।

---

श्री बन्धु तिर्की, माननीय स0वि0स0 द्वारा चलते विधानसभा सत्र में दिनांक– 24.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–14 का उत्तर निम्नवत अंकित है:–

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक–23.09.2008, पत्रांक–5108 में निर्गत संकल्प के अनुसार केवल पूर्वी सहिभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला–खरसावाँ के गोप, ग्वाला जाति को अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की सूची (अनुसूची–1) में शामिल किया गया है; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से अत्यन्त पिछड़े, गोप, अहिर एवं यादव जाति राज्य के सभी जिलों में निवास करते है; | पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक 22 पर सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य के लिए यादव (ग्वाला, अहिर, गोप, घासी, मेहर) (सदगोप/महाकुल/महकुर) अंकित है।<br>पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर राज्य के तीन जिलों यथा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिहंभूम एवं सरायकेला खरसावां में निवास करने वाले गौड़, मगदा–गौड़ जाति के लोगों को, जिनके खतियान मे भूलवश जाति का नाम गोप, ग्वाला दर्ज हो गया है, उन्हें गौड़/मगदा–गौड़ जाति का जाति प्रमाण पत्र स्थानीय सक्षम पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त संतुष्ट होने पर निर्गत करने की व्यवस्था की अपेक्षा को घ्यान में रखते हुए उक्त संकल्प राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के सभी जिलों में निवास करने वाले गोप, अहिर एवं यादव जाति को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला– खरसावाँ की तरह ही अत्यंन्त पिछड़ा वर्ग की सूची (अनुसूची–1) में शामिल करने का विचार रखती है। हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ? | उपर्युक्त कंडिका–2 में बतायी गयी परिस्थिति में प्रश्न की कंडिका–3 का प्रश्न ही नहीं उठता है। |

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–09/2014 का0–1707/रांची, दिनांक 21 फरवरी,2014

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–473 वि0स0 दिनांक–18.02.2014 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

(79)

श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.02.2014 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–19 का उत्तर प्रतिवेदन :–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर नियुक्ति (विज्ञापन सं०–01/2008) घोटाले की जांच हेतु गठित त्रिस्तरीय जांच दल का जांच प्रतिवेदन गृह विभाग को प्राप्त हो गया है ; | उत्तर स्वीकारात्मक है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि उपरोक्त जांच दल ने श्री जी०एस० रथ, तत्कालीन पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक को दोषी पाया है ; | त्रिसदस्यीय जाँच समिति द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर सरकार के स्तर पर निर्णय प्रक्रियाधीन है। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि अब तक उपरोक्त दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई विभाग द्वारा नही की गई है ; | वस्तुस्थिति कंडिका–2 में स्पष्ट कर दी गई है। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ? | वस्तुस्थिति कंडिका–2 में स्पष्ट कर दी गई है। |

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–02/2014 1770 / राँची, दिनांक–23/02/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.2.14
सरकार के उप सचिव।

(80)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.02.2014 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि राँची जिला के चान्हों थानान्तर्गत चामा में पुलिस थाना की स्थापना प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। क्या यह गृह विभाग के अंतर्गत आता है ; | अस्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि चामा सी०सी०एल० के उत्तरी कर्णपूरा तथा पिपरवार क्षेत्र तथा विश्वविख्यात मैक्लुस्कीगंज जाने के रास्ते में स्थित है ; | स्वीकारात्मक। |
| 3 | क्या चामा से चान्हों थाना की दूरी 15 कि०मी०, मैक्लुस्कीगंज थाना की दूरी 14 कि०मी०, बुढ़मु थाना की दूरी 15 कि०मी० एवं खलारी थाना की दूरी 10 कि०मी० है; | स्वीकारात्मक। |
| 4 | क्या वर्त्तमान में पुलिस थाना नही रहने से रास्ते से गुजरने वाले लोगो को असुरक्षित रूप से यात्रा करनी पड़ती है एवं आए दिन चोरी डकैती जैसी घटनाएँ घटती रहती है; | चान्हों थाना एवं खलारी थाना स्तर से उक्त मार्ग पर सघन गश्ती/पेट्रोलिंग कर सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु निरंतर निगरानी रखी जाती है। |
| 5 | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्राथमिकता के आधार पर चामा में पुलिस थाना का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ? | उपयुक्त क्र०–1 एवं 4 के उत्तर प्रतिवेदन के अनुसार सम्प्रति इस मार्ग पर पुलिस थाना के निर्माण की आवश्यकता नहीं है। |

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–08/2014...1768/ राँची, दिनांक–23/02/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Anand 23.2.14
सरकार के उप सचिव।

(81)

श्री सौरभ नारायण सिंह, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.02.2014 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि पूरे झारखण्ड में लगभग 35000 गृह रक्षा वाहिनी के जवान कार्य कर रहे है ; | अस्वीकारात्मक है।<br>गृह विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–483, दिनांक–07.02.2008 द्वारा ग्रामीण गृह रक्षकों का स्वीकृत बल प्रति प्रखंड–110 के दर से कुल 212 प्रखंड X 110=23320 तथा शहरी गृह रक्षकों का स्वीकृत बल एक लाख की आबादी पर 100 की दर से कुल 5980 अर्थात् कुल 29300 गृह रक्षक का स्वीकृत बल निर्धारित है। वर्तमान में ग्रामीण/शहरी गृह रक्षको का प्रभावित बल कुल 19500 है जिसमें से कर्त्तव्य पर 9886 प्रतिनियुक्त है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि गृह रक्षकों को पुलिस की बहाली में 3 वर्ष के अनुभव की मांग की जा रही है ; | स्वीकारात्मक है।<br>वैसे गृह विभाग, झारखण्ड, राँची से निर्गत अधिसूचना संख्या–718, दिनांक–19.02.2009 की कंडिका–11 में 3 वर्ष का अनुभव का उल्लेख है। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि वर्ष 2009 के पूर्व पुलिस बहाली में गृह रक्षकों को अनुभव एवं उम्र सीमा की कोई बाध्यता नही थी ; | यह पुलिस विभाग में सिपाही की बहाली से संबंधित है।<br>पूर्व में गृह (विशेष) विभाग के पत्र संख्या–238/सी० दिनांक–22.01.1986 की कंडिका–2 में उल्लेखित है कि पुलिस बहाली में गृह रक्षकों के संतोषजनक रूप से गृह रक्षा वाहिनी संगठन में सेवा की हो और अपेक्षित शारीरिक, शैक्षणिक एवं अन्य विहित योग्यता रखते हो को लाभ दिया जायेगा। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पुलिस बहाली में गृह रक्षकों को तीन वर्ष के अनुभव एवं उम्र सीमा को खत्म करना चाहती है, हँ तो कब तक नही तो क्यों ? | तत्काल प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नही है। |

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–7/वि०स०–48/2014 1088/ राँची, दिनांक–23/02/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.2

सरकार के उप सचिव।

82

**श्री बंधु तिर्की, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 24.02.2014 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– क0–15 का प्रश्नोत्तर**

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में उम्मीदवारों का अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित वर्ग– 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग– 43 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति– 45 वर्ष निर्धारित की गयी है, परन्तु पंचम संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में सभी वर्गो के उच्चतम उम्र सीमा में पाँच वर्ष कम कर दी गयी है ; | आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।<br>उल्लेखनीय है कि कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं0– 5232 दिनांक 30.08.2010 द्वारा संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा निम्नवत् निर्धारित की गई थी :–<br>(i) अनारक्षित– 40 वर्ष,<br>(ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग– 43 वर्ष,<br>(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति– 45 वर्ष,<br>अधिकतम उम्र सीमा में वृद्धि के संबंध में लिया गया उक्त निर्णय विशेष परिस्थिति में लिया गया था, क्योंकि संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा प्रतिवर्ष आयोजित नहीं हो रही थी। अतः उक्त संकल्प को विलोपित करते हुए सरकार द्वारा समीक्षोपरांत कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं0– 2096 दिनांक 25.04.2011 द्वारा राज्य के सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा निम्नवत् निर्धारित की गई है, जो दिनांक 31.12.2015 तक प्रभावी है:–<br>(i) अनारक्षित– 35 वर्ष,<br>(ii) पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग– 37 वर्ष,<br>(iii) महिला (अनारक्षित/पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग)– 38 वर्ष,<br>(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)– 40 वर्ष।<br>राज्य गठन के पश्चात् संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन प्रतिवर्ष नहीं होने एवं योग्य उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र सीमा पार कर जाने के फलस्वरूप पाँचवीं संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने हेतु अधिकतम उम्र वाले अभ्यर्थियों की उम्र की गणना के लिए कट ऑफ डेट 01.08.2009 करने का निर्णय विभागीय संकल्प सं0– 5653 दिनांक 25.06.2013 द्वारा संसूचित किया गया है। |
| 2. | यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा पुनः अनारक्षित वर्ग– 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग /अत्यंत पिछड़ा वर्ग – 43 एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति– 45 वर्ष निर्धारित करने तथा निर्धारित आयु सीमा की पात्रता रहने तक उम्मीदवार को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ? | उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। अतः सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। |

कृ0पृ0उ0...2,

IV

**झारखण्ड सरकार**

**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

ज्ञापांक– 4/विधानसभा–08–01/2014 का॰ 1709 / राँची, दिनांक 21 फरवरी, 2014

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0– 519 वि.स. दिनांक 18.02.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुमन कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(83)

श्री बन्ना गुप्ता, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.02.2014 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के पुलिस विभाग में ऐसे अफसर जिनके विरूद्ध आरोप है, जिनपर जांच चल रही है परन्तु कई वर्षो के पश्चात भी जांच समाप्त नही हुई है और वे अपने पद पर पदस्थापित है तो क्या सरकार ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ चल रही जांच को समयावधि तय कर पूरा करने एवं दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ? | आंशिक अस्वीकारात्मक है।<br>वस्तुस्थिति यह है कि कुछ पुलिस पदाधिकारियों के विरूद्ध आरोप प्रतिवेदित है। उन पुलिस पदाधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त आरोपों की सम्यक जांच के उपरांत यदि मामला अनुशासनिक कार्रवाई के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो यथास्थिति संबंधित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सरकार कृत संकल्प है।<br>यदि जांच में मामला विभागीय कार्यवाही चलाये जाने के लिए उपयुक्त पाया जाता है तब यथास्थिति उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का विधिवत संचालन कर उनके विरूद्ध संगत नियमों के अधीन आवश्यक आदेश पारित किया जाता है।<br>अराजपत्रित पुलिस पदाधिकारियों के विरूद्ध यथास्थिति पुलिस हस्तक में वर्णित प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही एवं पुलिस हस्तक के नियम 828 (ग) के अंतर्गत जांच कर दोषी पाए जाने पर दंडित किया जाता है। |

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–14 / वि०स०–102 / 2014 1774 / राँची, दिनांक–23 / 02 / 2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.2

सरकार के उप सचिव।

(84)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, स० वि०स० द्वारा दिनांक–24.02.2014 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–03 का प्रश्नोत्तर :

| | प्रश्न | | उत्तर |
|---|---|---|---|
| | क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– | | मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची। |
| 1. | क्या यह बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज एग्लों इंडियन समुदाय का प्रसिद्ध गाँव है जहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएँ है ; | 1. | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि प्रकृति की गोद में अवस्थिति मैक्लुस्कीगंज का विभाग द्वारा सर्वेक्षण कराकर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है ; | 2. | पर्यटन विभाग द्वारा मैक्लुस्कीगंज में केन्द्रीय वित्तीय सहायता (CFA) से प्राप्त राशि से निम्नलिखित कार्य कराये जा रहे हैं :–<br>1. पर्यटक सूचना केन्द्र का निर्माण पर्यटन विभाग द्वारा कराया गया है।<br>2. भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा निम्नलिखित कार्य कराये जा रहे है–<br>क) मैक्लुस्कीगंज तालाब का सौन्दर्यीकरण<br>ख) धार्मिक स्थल डुल्ली का पर्यटकीय विकास<br>ग) चाटी नदी का पर्यटकीय विकास। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है तो क्या सरकार नपर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए योजना बनाने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | 3. | कंडिका (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। |

**झारखण्ड सरकार**
**पर्यटन विभाग**

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/10/2014 305 /राँची, दिनांक 19/02/2014 /

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 171/वि०स०, दिनांक 14/02/2014 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/14
सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

शर्मिष्ठा

(85)

श्री बन्ना गुप्ता, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.02.2014 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि एक स्वतंत्र एजेंसी के सर्वेक्षण के अनुसार प्रत्येक वर्ष झारखण्ड के 30 हजार बेटियों को तस्करों के हाथ बेचा जाता है ; | अस्वीकारात्मक है।<br>वर्ष–2001 से नवम्बर–2013 तक मानव तस्करी से संबंधित कुल 300 कांड प्रतिवेदित हैं। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि देश के बड़े शहरों (दिल्ली, मुम्बई) में प्लेसमेंट एजेन्सी के द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर ले जाया जाता है एवं झारखण्ड के बेटियों का शोषण किया जाता है ; | आंशिक स्वीकारात्मक है।<br>दिल्ली में चल रहे 240 प्लेस्मेंट एजेन्सी के विरूद्ध कार्रवाई हेतु नोडल पदाधिकारी डी०सी०पी० क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस को प्लेस्मेंट की सूची उपलब्ध कराई गई है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झारखण्ड में हो रहे मानव तस्करी को रोकने का विचार रखती है, हँ तो कब तक नही तो क्यों ? | मानव तस्करी को रोकने के लिए सरकार की प्रतिवद्धता है। इसके लिए झारखण्ड राज्य के 8 (आठ) जिलों–दुमका, खूँटी, सिमडेगा, गुमला, राँची, चाईबासा, लातेहार एवं पलामू में **Anti Human Trafficking Unit (AHTU)** का गठन किया गया है। |

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–11 / वि०स०–06 / 2014 1771 / राँची, दिनांक–23/02/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.2

सरकार के उप सचिव।

(86)

श्री चन्द्रिका महथा, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.02.2014 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखण्ड में लगभग 15 वर्षों से खपरैल के मकान में चाहरदिवारी विहिन नौवडीहा थाना अवस्थित है ; | आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुतः नौवडीहा थाना नही है। यह जमुआ थाना का ओ०पी० है और किराये के मकान में चल रहा है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के नौवडीहा थाना को सुरक्षा के दृष्टिकोण से मोर्डनाईज थाना में तबदील करना आवश्यक है ; | अस्वीकारात्मक। नौवडीहा ओ०पी० उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र नही है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सुरक्षा के दुष्टिकोण से नौवडीहा थाना को मोर्डनाईज थाना में तबदील करने हेतु भवन चाहरदिवारी कैदी हाजत का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ? | वर्त्तमान में नौवडीहा ओ०पी० को थाना में उत्क्रमित करने अथवा इसके लिए आधुनिक थाना भवन निर्माण की कोई योजना नही है। |

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–3 / वि०स० / 1003 / 2014 1086 / राँची, दिनांक–23/02/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.2.14
सरकार के उप सचिव।

(87)

**श्री चन्द्रिका महथा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 24.02.2014 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–06 की उत्तर सामग्री।**

| क्र0 सं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | क्या यह बात सही है कि राज्य में अल्पसंख्यकों के कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने हेतु लगभग 10 करोड़ रुपये प्रतयेक वर्ष बजट में प्रावधानित है। | आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि प्राप्त प्रस्ताव एवं वार्षिक योजना आकार के आलोक में राशि का प्रावधान किया जाता है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि कब्रिस्तानों जैसे पवित्र स्थानों की पवित्रता एवं सुरक्षा बरकरार रखने हेतु प्रावधानित राशि 10 करोड़ को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये करना राज्यहित में आवश्यक है। | उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कब्रिस्तानों की घेराबंदी की प्रावधानित राशि 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ? | उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। |

19/2/14
**(विनोद शंकर सिंह)**
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
**कल्याण विभाग**

ज्ञापांक–8 / वि0स0प्र0–13 / 2014 391 राँची, दिनांकः– 19/02/14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–327 दिनांक 16.02.2014 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/2/14
**(विनोद शंकर सिंह)**
सरकार के संयुक्त सचिव

19/2

D:\2013-14\Raza\Alok Sir\Vidhan sabha Questionire.doc

(88)

**श्री प्रदीप यादव, स०वि०स०, द्वारा दिनांक – 24.02.2014 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या – 18 का प्रश्नोत्तर :**

| | प्रश्न | | उत्तर |
|---|---|---|---|
| | क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– | | मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची। |
| 1. | क्या यह बात सही है कि पर्यटन विभाग, द्वारा वर्ष 2008 में लघु फिल्मों के निर्माण में हुए वित्तीय अनियमित्ता की जांच निगरानी विभाग द्वारा करायी गयी ; | 1. | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि उपरोक्त जांच में दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध अब तक सरकार द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है ; | 2. | निगरानी विभाग के जाँच प्रतिवेदन का फलाफल प्राप्त नहीं हुआ है। अतः किसी आरोपित पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। |
| 3. | यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलम्ब दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ? | 3. | जाँच प्रतिवेदन का फलाफल प्राप्त होने के पश्चात् ही आरोपित पदाधिकारियों पर कार्रवाई संभव है। |

**झारखण्ड सरकार**
**पर्यटन विभाग**

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/21/2014 347 /राँची, दिनांक 21.02.2014 /

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक **566/वि०स०**, दिनांक **19/02/2014** के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/2/14

**सरकार के अवर सचिव**
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

89

श्री अमित कुमार यादव, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.02.2014 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत चलकुशा थाना स्वीकृत किये जाने के 5 वर्ष बाद भी थाना भवन का निर्माण कार्य नही कराया जा रहा है, जिससे अपराधिक गतिविधि इस क्षेत्र में बढ़ रही है ; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि यह क्षेत्र अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है ; | स्वीकारात्मक। |
| 3 | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में चलकुशा थाना भवन का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ? | पूर्व में चलकुशा थाना भवन के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नही थी। भूमि उपलब्ध हो गयी है एवं थाना भवन निर्माण की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। |

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–3/वि०स०–1004/2014-1085/ राँची, दिनांक–23/02/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.2.14
सरकार के उप सचिव।

(90)

श्री गोपाल कृष्ण पातर, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.02.2014 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–20 का उत्तर प्रतिवेदन :–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि राँची जमशेदपुर मार्ग पर अवस्थित बुण्डू अनुमंडल मुख्यालय में अग्निशामन केन्द्र की स्थापना हेतु कार्य योजना की स्वीकृति संबंधी सरकार का आश्वासन अब तक लंबित है। ; | अंशतः स्वीकारात्मक है।<br>गृह विभाग द्वारा बुण्डू अनुमंडल मुख्यालय में अग्निशमन केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। |
| 2 | यदि उपरोक्त कथन सही है तो क्या सरकार जनहित में उक्त स्थल पर अग्निशामन केन्द्र की स्थापना संबंधी कार्य योजना की स्वीकृति यथाशीघ्र देना चाहती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ? | अग्निशमन केन्द्र (फायर ब्रिगेड स्टेशन) खोले जाने हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। साथ ही उपकरणों की खरीद एवं कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया भी जारी है। तदनुसार भूमि अधिग्रहण,<br>अग्निशामालय–सह–आवासीय भवनों के निर्माण एवं कर्मियों की बहाली होने के पश्चात ही स्थायी रूप से बुण्डू अनुमंडल मुख्यालय में अग्निशामालय स्थापित किया जा सकेगा। |

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–5/विधा०–04/06/2014-1089/ राँची, दिनांक–23/02/2014 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.2

सरकार के उप सचिव।